

भारतीय मानक ब्यूरो,
पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय,
1/14 सीआईटी स्कीम, VII-एम वीआईपी रोड,
कंकुरगाछि, कोलकाता-700054

हमारा संदर्भ : पूक्षेका/ए-21.1

दिनांक : 21.11.2016

निविदा सूचना

भारतीय मानक ब्यूरो नीचे दिए गए विवरण के अनुसार योग्य बोली दाताओं से पूरी में अपने होलीडेहोम की स्थापना हेतु आवास उपलब्ध (2 A.C Rooms) कराने के लिए दो बोली प्रणाली (तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली) के तहत सीलबंद बोलियाँ आमंत्रित करता है।

1. योग्यता

क) बोलीदाता के पास व्यापार करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी का एक लाइसेंस होना चाहिए ।

ख) बोलीदाता के पास होटल /गैस्ट हाऊस पूरी में होना चाहिए ।

ग) बोलीदाता के पास आयकर विभाग द्वारा जारी एक वैध पैन होना चाहिए ।

घ) बोलीदाता के पास वैध सर्विस टैक्स पंजीकरण होना चाहिए ।

ड) बोलीदाता को भारत सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विभागों/मंत्रालयों द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया हो (घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना है) ।

च) बोलीदाता के पास पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष 20 लाख रुपए का न्यूनतम कारोबार होना चाहिए ।

2. संविदा की प्रस्तावित वैधता: एक वर्ष

3. निविदा दस्तावेज की उपलब्धता

स्थान : भारतीय मानक ब्यूरो, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय,
1/14 सीआईटीस्कीम, VII-एम वीआईपी रोड, कंकुरगाछि, कोलकाता-700054

प्रशासन विभाग, कार्यालय समय के दौरान

भा.मा.ब्यूरो वेबसाइट : www.bis.gov.in या www.eprocure.gov.in

अविध : 21 नवंबर 2016 से 20 दिसंबर 2016 (1500 बजे)

4. बोलियाँ प्रस्तुत करने की विधि

एक लिफाफा, जिस पर लिखा हो : “भारतीय मानक ब्यूरो होलीडे होम की स्थापना के लिए आवास उपलब्ध कराने की बोली” के दो लिफाफे ‘तकनीकी बोली’ और ‘वित्तीय बोली’ हों और उन पर पार्टी का नाम एवं पता लिखा होना चाहिए तथा उसे “उप निदेशक (प्रशासन एवं वित्त), भारतीय मानक ब्यूरो, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, 1/14 सीआईटी स्कीम, VII-एम वीआईपी रोड, कंकुरगाछि, कोलकाता-700054” के पास भिजवाए ।

5. बोलियाँ खोलना: तकनीकी बोलियाँ: 20 दिसंबर 2016 (मंगलवार) को 1530 बजे खोली जाएंगी ।

6. धरोहर राशि जमा (ईएमडी): ₹ 20,000/-

7. कार्य सिक्योरिटी जमा: संविदा की कुल वार्षिक लागत का 5% ।

8. बोलियों की वैद्यता: तकनीकी बोली के खुलने से 180 दिन तक ।

9. ब्यूरो किसी भी स्तर पर कोई कारण बताये बिना किसी एक या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(विवेक अग्रवाल)

उपनिदेशक (प्रशासन एवं वित्त)

ई- मेल: adminero@bis.gov.in

फ़ोन: 033-23208499

निविदा दस्तावेज़

अनुसूची – 1 बोली दाताओं के लिए निर्देश

1. बोली आमंत्रण की सूचना

1.1 भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) पूरी में होलीडेहोम की स्थापना हेतु आवास उपलब्ध कराने के लिए दो बोली प्रणाली के तहत इच्छुक पार्टियों से मुहरबंद बोली (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) आमंत्रित करता है।

2. निविदा दस्तावेज़ जारी करना

2.1 निविदा दस्तावेज़ ब्यूरो www.bis.gov.in या www.eprocure.gov.in की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

2.2 टेंडर जारी होने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदा दस्तावेज़ में यदि कोई भी परिवर्तन किया जाता है, तो बोली प्रस्तुत करने से पहले बोली में ही शामिल करने के लिए शुद्धि पत्र/परिशिष्ट के रूप में संभावित बोलीदाताओं के लिए सूचित किया जाएगा।

2.3 कहीं भी बोली दस्तावेज़ में कोई परिवर्तन और परिवर्धन की अनुमति नहीं है।

इनमें से किसी भी प्रकार का त्रुटि पाए जाने पर बोली को सरसरी तौर पर खारिज किया जा सकता है।

2.4 बोलीदाता अपनी बोली की तैयारी और प्रस्तुत करने के साथ जुड़े सभी लागत वहन करेगा। ब्यूरो, किसी भी मामले में, चाहे संचालन हो या बोली लगाने की प्रक्रिया के परिणाम हो, इन लागत के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।

3. बोली/अनुबंध की भाषा

3.1 बोली की भाषा अंग्रेजी/हिन्दी होगी और सभी पत्राचार अंग्रेजी/हिन्दी आदि में किए जाएंगे।

4. बोलीयों की वैधता

5.1 बोलियाँ इसके खुलने की तिथि से 180 दिन की अवधि के लिए वैध होगी।

5 धरोहर जमा राशि (ईएमडी)

5.1 बोलीदाता, ब्यूरो के पास एक धरोहर जमा राशि (ईएमडी) के रूप में अनुसूची में दर्शाए गए राशि के अनुसार जमा करेगा। धरोहर जमा राशि **भारतीय मानक ब्यूरो, कोलकाता** के पक्ष में देय **कोलकाता डिमांड ड्राफ्ट/पे आडर** के रूप में जमा की जाएगी।

5.2 धरोहर जमा राशि जमा करने के लिए विफलता या चूक बोली को अयोग्य घोषित करेगा और ब्यूरो अपने विचार से इस तरह की बोली को अयोग्य घोषित करेगा।

5.3 बोलीदाता, बोली की वैद्यता अवधि के दौरान ब्यूरो की सहमति के बिना अपनी बोली को रद्द नहीं करेगा या अपने नियमों और शर्तों को भिन्न नहीं करेगा। यदि बोलीदाता, बोली को रद्द करेगा या इसकी शर्तों एवं नियमों में भिन्नता करेगा तो ब्यूरो द्वारा इसके अन्य अधिकारों एवं उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना धरोहर राशि जमा को जब्त कर लिया जाएगा तथा ऐसी रोक की तिथि से प्रभावी होकर 24 महीने की आगामी अवधि के दौरान तक ब्यूरो होली-डे-होम की स्थापना हेतु बोली प्रस्तुत करने के अधिकार के वंचित कर दिया जाएगा ।

5.4 सफल बोली लगाने वाला निर्धारित सीमा में कार्यकारिता सुरक्षा का भुगतान नहीं करता या समझौते बांड पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है, तो सफल बोलीदाता की धरोहर जमा राशि ब्यूरो द्वारा जब्त की जाएगी।

5.5 असफल बोलीदाता की धरोहर राशि को ब्यूरो के समक्ष अपेक्षित कार्य निष्पादन प्रतिभूत सफलतम बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत करने के बाद एवं बोलियों की वैद्यता अवधि की समाप्ति के बाद वापस लौटा दी जाएगी।

6 योग्य बोलीदाता

क) बोलीदाता के पास व्यापार करने के लिए उपर्युक्त प्राधिकारी का एक लाइसेंस होना चाहिए ।

ख) बोलीदाता के पास एक होटल/गैस्ट हाउस पूरी में होना चाहिए।

ग) बोलीदाता के पास आयकर विभाग द्वारा जारी एक वैध पैन होना चाहिए।

घ) बोलीदाता के पास वैध सर्विस टैक्स पंजीकरण होना चाहिए ।

ड.) बोलीदाता को भारत सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र से उपक्रमों के विभाग /मंत्रालयों द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया हो (घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना है) ।

घ) बोलीदाता के पास पिछले 3 वर्षों में प्रति वर्ष 20 लाख रुपये का न्यूनतम कारोबार होना चाहिए।

7 दरें कैसे उद्धृत की जानी हैं

7.1 बोलीदाता से बाजार में प्रचलित दरों को ध्यान में रखते हुए उसकी दरों को देने की उम्मीद की जाती है। बोलीदाता दरों और कीमतों के रूप में अन्यथा प्रदान के अलावा, अनुबंधन के तहत अपने सभी दायित्वों और सभी मामलों और आवश्यक चीजों को कवर करेगा जो संलग्न कार्यक्रम में उद्धृत अपनी बोली की शुद्धता और प्रचुरता के रूप में बोली लगाने से पहले खुद को संतुष्ट किया समझा जाएगा ।

7.2 बोलीदाता अनुसूची में दी गई वित्तीय निविदा में दरों को उद्धृत करेगा। यदि किसी वित्तीय निविदा में दरें उद्धृत नहीं की, तो बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

7.3 प्रारंभ में, अनुबंध एक वर्ष के लिए मान्य होगा। ठेकेदार के संतोषजनक प्रदर्शन के बाद वार्षिक आधार और आपसी सहमति पर आगे दो वर्षों के लिए अनुबंध को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि एक बार उद्धृत दरों को अनुबंध के नवीकरण के समय बदला नहीं जाएगा।

8. बोली प्रस्तुत करने का तरीका

8.1 अनुसूची 4 में दर्शाये गए रूप में पूरी बोली प्राप्त की जाएगी जो बोली बॉक्स के माध्यम से या डाक द्वारा निर्धारित समय से पहले निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचाई जाएगी।

8.2 ई-मेल या फैक्स से माध्यम से प्राप्त की बोली को खारिज कर दिया जाएगा।

9 जमा करने की अंतिम तिथि : 20 दिसंबर 2016 (1500 बजे)

9.1 मुहरबंद निविदाएँ निविदा सूचना में निर्दिष्ट समय और दिनांक के बाद निर्दिष्ट पते पर प्राप्त नहीं की जाएगी। निर्धारित दिनांक और समय के बाद प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए, इस तरह की बोलियों को अस्वीकार कर बंद बोलीदाता को वापिस भेजा जाएगा।

10 . प्रस्ताव में संशोधन एवं वापसी

10.1 बोलीदाता, बोली प्रस्तुत करने के बाद अपनी पेशकश वापस ले सकते हैं बशर्ते की बोलीदाता से बोली वापस की लिखित सूचना बोली प्रस्तुत करने की निर्धारित अंतिम तिथि और समय से पहले ब्यूरो को प्राप्त होती है।

11 बोली दस्तावेज़ की सामग्री

11.1 बोलियां दो बोली प्रणाली (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) में आमंत्रित की जाती है।

पूरी बोली सीलबंद लिफाफे पर अनुसूची 4 में उल्लेख के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से होली डे होम स्थापना के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए लिखकर भेजें।

11.2 लिफाफे में निम्नलिखित रखें:

क) लिफाफा नं 1 (तकनीकी बोली) : इसमें निम्नलिखित वाणिज्यिक नियम और शर्तों के साथ-साथ सभी तकनीकी विवरण शामिल करने चाहिए।

i) संलग्न सभी दस्तवेजों की सूची

ii) उपरोक्तलिखित खंड 5.1 में दर्शाये गए रूप में ईएमडी

iii) होटल उद्योग को कारोबार को चलाने के लिए पार्टी को दिये गए उपयुक्त प्राधिकारी को वैद्य लाइसेंस की स्व-सत्यापित प्रतिलिपि

iv) अनुसूची 7 के अनुबंध में होलीडे होम का विवरण

v) प्रति वर्ष 20 लाख रुपए के न्यूनतम कारोबार के सबूत में चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित पिछले तीन वर्षों के लाभ और हानी खाते एवं आय और विवरण की प्रतियाँ

vi) आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए वैध पैन एवं सर्विस टैक्स पंजीकरण के प्रमाणों की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ

vii) पत्राचार के लिए नाम, पता, टेलीफोन नंबर, ई-मेल इत्यादि के साथ मिलिक/साथी/निर्देशक के विवरण सहित फ़र्म (फर्मों) का विवरण (अनुसूची 7 के अनुबंध 2)

viii) एक फर्म के मामले में, प्रत्येक पार्टनर या अटॉर्नी धारक बोली पर हस्ताक्षर करेगा। बोली, हस्ताक्षर करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पावर ऑफ अटॉर्नी की सत्यापित प्रतियाँ बोली के साथ संलग्न की जाएगी। पावर ऑफ अटॉर्नी सभी भागीदारों द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी। प्राइवेट लि०/पब्लिक लि० कंपनियों के मामले में पावर ऑफ अटॉर्नी के सहायक बोर्ड संकल्प एवं उपयुक्त तथा पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध कराये जाएंगे।

ix) सभी पृष्ठ और चिपकाई गई प्रतियों को बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए और कोई पृष्ठ बोली दस्तावेज़ के सेट से जोड़ा या हटाया नहीं जाएगा। विधिवत हस्ताक्षर किए गए बोली दस्तावेज़ अपनी स्वीकृति की निशानी के रूप में वापस किए जाएंगे।

x) पिछले तीन (3) वर्ष (अनुसूची 7 के अनुबंध 3) में किए गए कार्य/सेवा को दर्शाने वाला विवरण

xi) काली सूची और/या मुकदमों (अनुसूची 7 के अनुबंध) के बारे में एक घोषणा।

ख) लिफाफा सं 2 (वित्तीय बोली) इस लिफाफे में अनुसूची 2 के अनुसार निर्धारित स्थानों पर भाड़े की सेवाओं के लिए केवल श्रेणीकर मूल्य रखे जाएंगे जिन्हें विधिवत एवं बोली के तय स्थान पर बोलीदाता द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करके रखा जाएगा। खंड 8 के निर्देशों का ध्यान रखा जाए।

ग) लिफाफा कवर : दोनों लिफाफे 1 और 2 को एक आम सीलबंद लिफाफे में अनुसूची में दर्शाए अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो होलीडे होम के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए बोली एवं बाईं तरफ बोली लगाने वाले का नाम और पता लिखा जाएगा।

12 बोलीदाता द्वारा अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए:

क) वित्तीय निविदा उपयुक्त स्थानों (अनुसूची 5) पर शब्दों और अंकों, दोनों में लिखा जाना चाहिए।

ख) बोलीदाता जो बोली प्रस्तुत करेगा उसमें निविदा दस्तावेज़ में दी गई प्रत्येक एवं हर वो शर्त को संतुष्ट करेगा। ऐसा न होने पर बोली को रद्द कर दिया जाएगा। सशर्त बाकी बोलियों को रद्द कर दिया जाएगा।

13 बोली खोलना

13.1 निविदा सूचना में विनिर्दिष्ट समय एवं तिथि से पूर्व प्राप्त बोली अनुसूची 4 (यदि संभव हो), में दर्शाए गए कार्यालय में विनिर्दिष्ट कार्यक्रम के अनुसार बोलीदाताओं के सामने या प्राधिकृत प्रतिनिधियों जो सूचीबद्ध समय पर खोलने वाले दिन को उपस्थित रखने के लिए जिनका चयन किया जाएगा, उनके समक्ष खोली जाएगी।

14 बोलीदाताओं की छँटाई

14.1 ब्यूरो केवल उन बोलीदाताओं की वित्तीय बोली खोलेगा, जिनको तकनीकी बोली में अर्हक सूची में रखा जाएगा। ऐसे बोलीदाताओं को तिथि एवं समय सूचित कर वित्तीय बोलियाँ खोली जाएंगी।

15 वित्तीय बोलियाँ खोलना

15.1 ब्यूरो निर्दिष्ट तिथि को लिफाफा सं 2 खोलेगा तथा मूल्य तालिका (अनुसूची 5) में बोलीदाता द्वारा उद्धृत दरों को पढ़ा जाएगा ।

16 बोली की स्वीकार्यता

16.1 ब्यूरो के सक्षम प्राधिकारी द्वारा बोली की स्वीकार्यता की जाएगी। वित्तीय बोली में उद्धृत दरों के अनुसार L 1 के आधार पर बोली स्वीकार की जाएगी। ब्यूरो न्यूनतम या किसी बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। ब्यूरो बिना किसी कारण बताए प्राप्त बोली या बोलियों में से किसी या सभी को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है । बोली की स्वीकार्यता ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित में सफल बोलीदाता को स्वीकार्यता भिजवाई जाएगी ।

17 प्रक्रिया गोपनीय रखी जाएगी

17.1 जांच संबंधी जानकारी, मूल्यांकन एवं बोलियों की तुलनात्मक तथा संविदा देने के संबंध में बोलीदाताओं या किसी अन्य व्यक्ति को जिसका इस बोली से संबंध न हो और जब तक सफलतम बोलीदाता का नाम घोषित न किया जाए/प्रकट नहीं करेगा ।

18. संविदा दस्तावेज़ का निष्पादन

18.1 कार्य निष्पादन : सिक्योरिटी को जमा करने के बाद, सफलतम बोलीदाता के लिए 100/- रुपये के उचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर बोली दस्तावेज़ों के साथ संलग्न फार्म में डुप्लीकेट प्रतियों में करार करना अपेक्षित है। करार बोली स्वीकार करने की तिथि से 15 दिनों के भीतर हस्ताक्षर करना चाहिए। संविदा (सी ओ सी) में यथा निर्दिष्ट करार, संविदा की शर्तें (सी ओ सी) एवं अन्य दस्तावेज़ों द्वारा शासित की जाएगी ।

19.2 निष्पादन की तिथि को यथा लागू कर करार हेतु, स्टाम्प ड्यूटी, विधि एवं वैधानिक प्रभारों के भुगतान हेतु सफलतम बोलीदाता की ज़िम्मेदारी होगी।

19. ब्यूरो का अधिकार

19.1 ब्यूरो इस बोली में रखे गए कार्यों को बढ़ाने/कम करने की उपयुक्त अधिकार सुरक्षित रखता है।

19.2 निविदा दस्तावेज़ के किसी खंड या संविदा की शर्तों की व्याख्या में किसी प्रकार की अस्पष्टता के मामले में ब्यूरो द्वारा खंडों की व्याख्या अंतिम एवं बाध्यकारी होगी।

20. संविदा का भाग बनाने संबंधी सूचना

20.1 निविदा सूचना एवं दिये गए निर्देश संविदा के भाग बनेंगे ।

अनुसूची- 2

संविदा की शर्तें :

1. परिभाषाएँ:

1. 'अनुलग्नक' से अभिप्राय इन शर्तों में संदर्भित निविदा दस्तावेज एवं संविदा के साथ संलग्न संबंध अनुलग्नक से है।
2. 'अनुमोदित' से अभिप्राय पिछले मौखिक अनुमोदन के बाद की पुष्टि सहित लिखित में अनुमोदन है तथा अनुमोदन से अभिप्राय है की यथा उपरोक्त सहित लिखित में अनुमोदन से है।
3. 'बोली' से तात्पर्य विहित स्थानों पर हॉलिडे होम आवास हेतु ब्यूरो को प्रस्तावित संविदाकार ने मूल्य तथा संविदा, स्वीकार्यता पत्र द्वारा यथा स्वीकार्य संस्थापन एवं सेवाओं के प्रावधान सहित इसके अनुसार किसी प्रकार की कमियों के उपचार से है।
4. 'ब्यूरो' से तात्पर्य है, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के तहत, ब्यूरो की ओर से कायम करने हेतु ब्यूरो द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी से है।
5. 'आरम्भ तिथि' से तात्पर्य है, विहित स्थानों पर सेवाएँ उपलब्ध कराने की शुरुआत संबंधी वह तिथि है, जिसका संविदाकार को सूचित प्राप्त हो।
6. 'सक्षम अधिकारी' से तात्पर्य है इस संविदा के तहत, ब्यूरो की ओर से कार्य करने हेतु ब्यूरो द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी से है।
7. 'संविदा' से तात्पर्य है, निविदा सूचना हेतु बोलीदाताओं के लिए निर्देश, संविदा की शर्तों एवं निबंधन, स्वीकृति पत्र, प्रस्ताव, करार एवं ब्यूरो द्वारा बोलीदाता के साथ प्राधिकृत आपसी पत्राचार में स्वीकृत, आपकी शर्तें तथा बताए गए किसी भी प्रकार के दस्तावेज से है।
8. 'संविदा राशि' से तात्पर्य है संविदाकार, द्वारा उसकी बोली में उद्धृत की गई राशि एवं ब्यूरो द्वारा स्वीकार्य।
9. 'संविदाकार' से तात्पर्य है, व्यक्ति या फर्म या कंपनी, चाहे निगमित हो या नहीं, संविदा उपक्रमित एवं ऐसे व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिधि या ऐसी फर्म में शामिल व्यक्ति या अनिगमित कंपनी या ऐसी फर्म के उत्तराधिकारी या कंपनी, जो भी मामले हो ऐसे व्यक्ति या फर्म या कंपनी को सौंपी गई अनुमति।
10. 'उपमहानिदेशक' से तात्पर्य है, ब्यूरो का उपमहानिदेशक, उस कार्यालय का समय – समय पर पदधारक एवं उनका उत्तराधिकारी भी एवं उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी शामिल होंगे।
11. 'सरकार' से अभिप्राय है, केन्द्रीय सरकार।
12. 'स्वीकार्यता पत्र' से अभिप्राय है, ब्यूरो द्वारा आधिकारिक स्वीकृति।
13. 'सेवाओं' से अभिप्राय है, संविदा में यथा वर्णित संविदाकार द्वारा ब्यूरो को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएँ तथा निविदा दस्तावेज में विहित की गई अन्य सेवाएँ शामिल होगी।
14. 'विशिष्ट' से अभिप्राय है, निविदा में संदर्भित विशिष्ट। जहां कोई विशेष विशिष्ट न दी गई हो तो ब्यूरो की सबद्व विशिष्ट जहां कोई हो तो लागू जो।

15. 'निविदा' से तात्पर्य है, संविदा आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो होलिडे होम हेतु तय मूल्य के लिए प्रस्ताव देने के लिए भावी बोलीदाताओं को ब्यूरो द्वारा औपचारिक आमंत्रण ।

16. 'पूर्णता समय' से अभिप्राय है, आरंभिक तिथि से संगठित संविदा में यथा वर्णित सेवाएं या उसके किसी भी भाग से उपलब्ध कराने हेतु विहित समय।

2. संविदा हेतु पक्ष

2.1 संविदा का पक्ष संविदाकार होगा, जिसको ब्यूरो द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

2.2 प्रस्ताव या फ़र्म के अन्य व्यक्तियों की ओर से संविदा के भाग बनाते हुए अन्य किसी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षरकर्ता व्यक्ति, संविदा से संबद्ध सभी मामलों में ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों या फ़र्म को बाध्य करने के लिए सम्यक प्राधिकारी समझा जाएगा । यदि यह पाया गया की संबद्ध व्यक्ति के पास ऐसा प्राधिकारी नहीं है, ब्यूरो, अन्य किसी सिविल/आपराधिक उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संविदा को समाप्त कर सकता है तथा हस्ताक्षरी को बनाए रख सकता है तथा / या फ़र्म ऐसे समापन हेतु सभी लागत एवं नुकसानों हेतु देय होती है।

3. निष्पादन प्रतिभूति

3.1 संविदा के देय निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए, व्याज-मुक्त निष्पादन प्रतिभूति, अनुसूची-4 में यथा वर्णित राशि हेतु, संविदा में दिये गए सफलतम बोलीदाता से प्राप्त की जाएगी । इसके पंजीकरण स्तर इत्यादि को ध्यान में रखे बगैर, निष्पादन प्रतिभूति अकाउंट पेयी डिमांड-ड्राफ्ट के रूप में 'भारतीय मानक ब्यूरो' में पक्ष में 'कोलकाता' में देय या अनुसूची-7 के अनुलग्नक-1 में यथा वर्णित फॉर्मेट के अनुसार बैंक गारंटी दी जाएगी ।

3.2 कार्य निष्पादन सिक्योरिटी संविदाकार की सभी संविदागत देय राशि के पूर्ण होने की तिथि से ऊपर 60 दिनों की अवधि हेतु वैध रहेगी। संविदा पूरी होने के 60 दिनों के बाद ब्यूरो द्वारा संविदाकार को कार्य निष्पादन सिक्योरिटी को लौटा दिया जाएगा बशर्ते की संविदाकार पर ब्यूरो को कोई दावा शेष न हो।

3.3 इस संविदा या किसी प्रकार का अन्य लेखा की शर्तों के तहत संविदाकार से देय/वसूलनीय कोई राशि कार्य निष्पादन सिक्योरिटी जमा राशि को ऐसी किसी कटौती के कारण से कम दिया जाता है तो संविदाकार, ब्यूरो से 'मांग सूचना' की प्राप्ति से 15 दिनों के भीतर घाटे को पूरा करेगा। यदि सिक्योरिटी को संविदाकार द्वारा बैंक गारंटी के तरीके से जमा किया जाता है, तो निर्धारित या अनिर्धारित हानिपूर्ति के लिए या संविदा की किसी शर्त का उल्लंघन या चूक पर जुर्माना ब्यूरो को पहले से भुगतान नहीं किया जाएगा बल्कि उक्त गारंटी की शर्तों के तहत ब्यूरो को उक्त बैंकों द्वारा मांग पर तुरंत भुगतान किया जाएगा।

3.4 यदि किसी संविदा की अवधि के दौरान, संविदाकार इस संविदा के तहत, देय एवं इसकी देयताओं के तहत सही कार्य निष्पादन से चुकता है या जुर्माना के तरीके से अथवा कोई देय बकाया, जुर्माना एवं संविदाकार की ओर से देय अन्य कोई राशि की वसूली से चुकता है तो ब्यूरो इसके तहत उसके अन्य अधिकारों एवं उपचारों पर प्रभाव डाले बिना या लागू कानून पर, कार्य निष्पादन से उसे रोकने का हकदार रहेगा।

3. 5 ब्यूरो को संविदाकार से यदि कार्य निष्पादन सिक्योरिटी की राशि से अधिक उक्त जैसे नुकसानों, हानियों, लागत, प्रभार एवं खर्च की राशि होगी, तो उसे मुकदमें या इसी प्रकार के अन्य तरीके से वसूलने से रोका नहीं जाएगा।

4. संविदा दस्तावेज़

4.1 संविदा बनाने वाले विभिन्न दस्तावेज़ों को एक-दूसरे पक्ष को यथा आपसी वर्णित लिया जाएगा, लेकिन इसी में संदेह या कमी के मामले में वर्णित किया जाएगा तथा ब्यूरो के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुमेलित किया जाए। इस पर यह संविदाकार को आवश्यक निर्देश जारी करें तथा ऐसे मामलों में जब तक अन्यथा न हो तो संविदा बनाने हेतु दस्तावेज़ की प्राथमिकता निम्नानुसार रहेगी:

1. करार
2. पूर्व-बोली बैठको, स्पष्टीकरणों के कार्यवृत्त
3. संविदा की शर्तें
4. निविदा सूचना एवं निविदा दस्तावेज़
5. स्वीकार्यता पत्र
6. संविदा के संबंध में पक्षों के बीच दिए गए अन्य पत्राचार
7. संविदाकार का प्रस्ताव

5. संविदा की वैधता

5.1 इस संविदा पर हस्ताक्षर करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए संविदा होगी। तथापि, संविदा की वार्षिक समीक्षा की जाएगी तथा संविदा अवधि के दौरान संतुष्टिपरक निष्पादन एवं दोनों पक्षों की आपसी सहमति की शर्त पर वार्षिक आधार पर इसे अधिकतम तीन वर्षों हेतु बढ़ाया जाएगा।

6. भारतीय मानक ब्यूरो होलीडे होम के लिए आवास उपलब्ध कराने हेतु विस्तृत कार्यक्षेत्र

6.1 इस अनुबंध के तहत कार्य हेतु निम्नलिखित बिन्दु कवर होंगे।

क) पुरी में से एक सुविधाजनक स्थान पर ठेकेदार होटल/गेस्ट हाउस में भारतीय मानक ब्यूरो के लिए हॉलिडे होम की स्थापना के लिए आवास प्रदान करेगा ।

ख) बस स्टैंड ऑर/या रेलवे स्टेशन से भारतीय मानक ब्यूरो हॉलिडे होम के लिए होटल/गेस्ट हाउस एक सुविधाजनक दूरी पर हो।

ग) होलीडे होम में कम से कम चार व्यक्तियों को समायोजित करने के लिए क्षमता होनी चाहिए । प्रत्येक कमरे में एक बालकनी होनी चाहिए ।

घ) इन कमरों में प्रदान किए गए डबल बेड या दो सिंगल बेड के अतिरिक्त, अलग से बिस्तर (दो) के रूप में हॉलिडे होम प्रदाता द्वारा किसी भी अतिरिक्त भुगतान के बिना जरूरत पड़ने पर दिया जाएगा।

ड) कमरे में बाथरूम, गीजर और 24 घंटे पानी की आपूर्ति के साथ संलग्न शौचालय की सुविधाएं होनी चाहिए।

च) कमरे में फर्नीचर आइटम जैसे एक डबल बैड या दो सिंगल बेड बिस्तर सहित, ड्रेसिंग टेबल, अलमारियों, दो कुर्सियाँ/सोफा सीटों के साथ एक सेंटर टेबल एवं केबल/डी टी एच कनेक्शन के साथ रंगीन टी वी आदि जैसी सुविधाएं होनी चाहिए।

छ) कमरे अच्छी तरह से अधिमान्त: सन फेसिंग हवादार, सी फेसिंग और साफ सुथरे होना चाहिए । दरवाजों सहित कमरे, खिड़कियाँ, पट्टे की अवधि शुरू होने से पहले पेंट किए हों और वर्ष में एक बार उन्हें पॉलिश/दोबारा पेंट किया जाना चाहिए ।

ज) कक्ष प्रतिदिन और जब आवश्यक हो, साफ किया जाएगा। चादरें दैनिक और रहने वालों के परिवर्तन के साथ बदली जाएगी ।

झ) पर्दे समय- समय पर साफ किया जाना चाहिए ।

ञ) चैकिंग इन के समय प्रत्येक कमरे के लिए दो तौलिए और दो साबुन एक बार अधिकारियों को प्रदान किए जाएंगे ।

ट) कांट्रैक्टर (होलीडे होम प्रदाता) स्नानघर/शौचालय में दोनों, गर्म और ठंडे पानी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करेगा ।

ठ) होलीडे होम प्रदाता इमारत में सभी रखरखाव के कामों को सारी फिटिंग्स एवं उपकरण अच्छी हालत में रखेगा ।

ड) सर्दियों में, प्रत्येक वर्ष 1 दिसम्बर से 28 फरवरी तक तथा वर्ष के दौरान किसी भी अवधि में हीट-कन्वेक्टर मांगने पर होलीडे होम प्रदाता कमरे के अतिथियों को उपलब्ध कराएगा ।

ढ) होलीडे होम में कमरे में खाना उपलब्ध करने की सुविधा होनी चाहिए ।

ण) बीआईएस के कर्मचारियों द्वारा खाना मँगवाए जाने पर रेस्तरां की मैन्यू कीमत पर कांट्रैक्टर द्वारा 20% की छूट दी जानी चाहिए ।

प) लीज अनुबंध के दौरान कीमत में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

फ) होटल में पहुँचने पर कांट्रैक्टर काम्पलीमेंट्री चाय/कॉफी उपलब्ध कराएगा ।

ब) संविदाकार हॉलिडे होम के परिसरों में, उसी ताल पर, भारतीय मानक ब्यूरो की सुविधा के लिए एक साधारण रसोईघर, जिसमें चालू हालत का गैस स्टोव , 2 प्रेशर कुकर एवं रहने वालों के प्रयोग के लिए पर्याप्त संख्या में बर्तन उपलब्ध कराएगा (4 पतीले, 1 तवा, 4 प्लेटों सहित कटोरियों के 4 सेट, पर्याप्त गिलास व चम्मच इत्यादि)

भ) होलीडेहोम में कार पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए ।

म) कांट्रैक्टर (होलीडे होम प्रदाता) आवश्यकता पड़ने पर ड्राइवर के रहने का प्रबंध बिना पैसे लिए करेगा।

य) कांट्रैक्टर (होलीडे होम प्रदाता) यह भी सुनिश्चित करेगा कि कुशल सेवाएँ उपलब्ध करवाने हेतु उचित संख्या में कर्मचारी उपलब्ध हो।

7. कांटेक्टर का दायित्व

7.1 संविदाकार उपरोक्त खंड 6 के अनुसार हॉलिडे होम आवास उपलब्ध कराएगा, जिसे संविदाकार अवधि के दौरान ब्यूरो द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है तथा यह संविदा के हमेशा भाग रहेंगे। समय-समय पर ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराए अनुसार कार्यों का संविदाकार अनुपालन करेगा।

7.2 संविदाकार भारतीय मानक ब्यूरो होलीडे होम को चलाने के लिए सभी खर्च वहन करेगा तथा भारतीय मानक ब्यूरो संविदा के अनुसार किसी भी वित्तीय बोली, कर देयता, यदि कोई है को छोड़कर किए गए खर्चों को किसी भी तरह से भुगतान करने हेतु देय नहीं होगा ।

7.3 संविदाकार द्वारा धारक कमरों को ताला लगा कर रखा जाएगा तथा केवल भारतीय मानक ब्यूरो कर्मचारियों, जिन्हें सरकारी तौर पर इन कमरों में रहने हेतु आबंटित किए गए हों, को छोड़कर किसी को भी इन्हें प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । इस प्रयोजनार्थ भारतीय मानक ब्यूरो कर्मचारी के पास पट्टेदार से प्राप्त सरकारी पत्र होगा।

7.4 होलीडे होम प्रदाता भारतीय मानक ब्यूरो के कर्मचारी एवं उनके परिवार के ठहरने वालों का रिकॉर्ड रखने के लिए एक रजिस्टर रखेगा ।

7.5 होलीडे होम प्रदाता द्वारा कमरों को ताला लगाने एवं खोलने हेतु तथा रिकॉर्ड रखने इत्यादि की आवश्यकता वयवस्था की जाएगी।

7.6 रसोई के बर्तनों को आवश्यकतानुसार प्रतिदिन 2-3 बार धोने हेतु धुलाईवाला उपलब्ध करना संविदाकार की जिम्मेवारी होगी । इस सुविधा के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं दिया जाएगा ।

7.7 भारतीय मानक ब्यूरो होलीडे होम में सेवा करने वाला स्टाफ अच्छी यूनिफ़ॉर्म में होना चाहिए।

8. भुगतान शर्तें

8.1 भारतीय मानक ब्यूरो, होलीडे होम को चलाने के लिए ठेकेदार को किसी भी नुकसान के मामले में भुगतान करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा ।

8.2 पट्टा राशि का भुगतान अग्रिम में अर्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा और लागू वैधानिक करों को ठेकेदार से बिल की रसीद पर बनाया जाएगा । भुगतान यानि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन किया जाएगा, टैक्स प्रस्तुत प्रत्येक बिल की सकल राशि से प्रचलित दरों पर, उपकार/अधिभार के साथ स्रोत पर कटौती की जाएगी।

8.3 अस्थायी रूप से अनुबंध के निलंबन के मामले (परिच्छेद 11 में देखें) में, निलंबित रहे दिनों के अनुबंध के लिए ठेकेदार को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाएगा ।

9. जुर्माना लगाना

9.1 यदि यह पाया गया कि होलीडे होम में आने वाले भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अपने कर्मचारियों को सरकारी तौर पर आबंटित कमरे को पहले ही अन्यो द्वारा कब्जा किया जाता है तो ऐसे प्रत्येक कब्जे पर ₹ 5000/- का जुर्माना लगाया जाएगा ।

9.2 यदि उपरोक्त खंड 6.1 के अनुसार, रसोई में उपलब्ध कराई जाने वाली वस्तुएं समुचित रूप से आने वाले भारतीय मानक ब्यूरो कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं कराई गई और इस संबंध में उनसे शिकायत प्राप्त हुई तो प्रत्येक अवसर पर ₹ 1000/- का जुर्माना लगाया जाएगा ।

9.3 यदि भारतीय मानक ब्यूरो से लिखित पत्राचार की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर, 9.1 एवं 9.2 खंड में दर्शाए गए अनुसार जुर्माना राशि का भुगतान करने से संविदाकार चूकता है तो कार्य निष्पादन सिक्योरिटी से इसे काटा जाएगा।

10. क्षतिपूर्ति

10.1 संविदाकार किसी व्यक्ति या किसी प्रॉपर्टी, जो भी हो, के चोटिल होने या नुकसान होने पर ब्यूरो के सभी नुकसानों एवं दावों, जो संविदा से उपजे या परिणामस्वरूप हों तथा सभी दावों, माँगों, प्रक्रियागत, नुकसान, लागत, प्रभार एवं खर्च, इस संबंध में जो भी हो या समय-समय पर यथा संशोधित विभिन्न श्रमिक क़ानूनों के उपबंधों के तहत इससे सम्बद्ध कि क्षतिपूर्ति करेगा तथा क्षतिपूर्ति कराएगा।

10.2 संविदाकार ब्यूरो के विरुद्ध सभी दावों, नुकसानों, लागत नुकसानों, खर्चों, वाद कारवाई एवं अन्य प्रक्रिया, किसी पेटेंट के उल्लंघन के परिणामतः ट्रेडमार्क, कॉपीराइट इत्यादि ऐसे ही अन्य वैधानिक उल्लंघनों कि क्षतिपूर्ति, सुरक्षा एवं बचाव करेगा।

11. संविदा का समापन/आस्थगन

11.1 ब्यूरो को बदलाव पर या इसके कारण प्रतिपूर्ति पर इस संविदा को अस्थायी तौर पर किसी भी समय अस्थगित करने की स्वतन्त्रता होगी। संविदाकार की अपर्याप्त सेवा या दुर्यवहार हेतु इस संविदा की किन्हीं शर्तों एवं निबंधनों को भंग करने के लिए संविदाकार के लिए अंतिम होगा तथा संविदाकार का कोई भी हकदार नहीं होगा।

11.2 संविदाकार की ओर से चूक होने की स्थिति में, जिसे परिणामतः संविदा के तहत वह अपनी सेवाओं देयताओं को पूर्ण करने में असमर्थ हो तो इसे एक गंभीर चूक माना जाएगा तथा यह निम्नलिखित कारणों से किसी के भी होने पर माना जाएगा।

क) ब्यूरो की राय में संविदाकार संविदा के विरुद्ध हो गया हो।

ख) इस संविदा के अनुसार सेवाओं की आपूर्ति शुरू करने में बिना किसी समुचित कारण के चुकने पर या पूर्णता हेतु तथा समय के भीतर सेवाएँ उपलब्ध करने में असफल रहने पर।

ग) लिखित में ब्यूरो की ओर से पिछली चेतावनियों के बावजूद, संविदा के तहत इसकी जिम्मेदारियों के अनुपालन में अन्यथा फ़होर लापरवाही रहने पर।

घ) यदि संविदाकार सेवाओं की आपूर्ति के लिए बनाए गए किसी क़ानून को भंग करता हो।

ड) ब्यूरो के न्याय में संविदाकार, संविदा के तहत सेवाओं को पूर्ण करने या निपटाने में भ्रष्ट या गलत रीतियों में लिप्त हो।

च) संविदाकार स्वेच्छित्कता या अस्वेच्छा से दिवालिया या परिसमापित हो जाता है।

छ) संविदाकार दिवालिया हो जाता है।

ज) इसकी परिसंपत्तियों के किसी बड़े भूभाग पर कोई रिसीवर, प्रशासक ट्रस्टी या परिसमापक नियुक्त कर दिया जाता है।

झ) संविदाकार या इसकी संपत्तियों के संबंध में कोई कार्यवाही या घटना होती है, जिससे किसी लागू क़ानून के तहत/चालू क्रिया या घटनाओं पर किसी प्रकार का बड़ा प्रभाव पड़ता है।

ड.) ब्यूरो की पूर्व अनुमति के बिना संविदाकार (संघ के मामले में) संघ के गठन तथा/ या संघ के किसी सदस्य की जिम्मेदारी में संशोधन करता है।

12. ब्यूरो द्वारा समापन

12.1 बिना कारण बताए तथा हानी या नुकसान की देयता के बिना किसी भी समय करार को समाप्त करना ब्यूरो के लिए भी वैधानिक होगा जिससे संविदाकार को ऐसे समापन के कारण परेशानी हो सकती है। ऐसे समापन के लिए ब्यूरो द्वारा संविदाकार को 15 दिनों का लिखित में नोटिस दिया जाएगा। संविदा के तहत ऐसे किसी प्रकार का समापन ब्यूरो के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल डाले बगैर होगा।

13 समापन हेतु संविदाकार का अधिकार

13.1 यदि संविदाकार संविदा अवधि की समाप्ती से पूर्व संविदा समाप्त करने का निर्णय लेता है तो संविदाकार को न्यूनतम 30 दिनों की अग्रिम रूप में सूचना देनी पड़ेगी। यदि संविदाकार 30 दिनों की पूर्व सूचना के बिना करार समाप्त करता है तो सम्पूर्ण प्रतिभूति जमा जब्त कर ली जाएगी।

14. मुख्य खंड लागू करना

14.1 इस संविदा की बारंबारता के दौरान किसी भी समय पर यदि इस संविदा के तहत किसी भी दायित्व के पूर्ण रूप या अंशतः निष्पादन को किसी लड़ाई, युद्ध स्थिति, सार्वजनिक शत्रुता संबंधी कार्यों, महामारियों, सार्वजनिक हल्लड़, तोड़-फोड़, आगजनी, बाढ़, विस्फोट, सागरोधन प्रतिबंधन, हड़ताल, ताला बंदी या प्रकृतिक आपदा (इसमें आगे ऐसे कार्य कहा गया है) के कारणों से रोका जाएगा या देरी की जाएगी तो बशर्ते ऐसी घटनाओं के नोटिस घटित होने की तिथि से 21 दिनों के भीतर एक पक्ष, दूसरे पक्ष को देता है। कोई भी पक्ष ऐसी स्थिति में यदि इस संविदा को समाप्त करेगा और न ही गैर-निष्पादन या निष्पादन में देरी के संबंध में अन्य नुकसानों की भरपाई का दावा करेगा और जब तक ऐसी घटनाएँ समाप्त न हो जाएँ या बंद ना हो, इसके बाद व्यवहारिक रूप से या न करने का निर्णय नहीं करते, इस मामले में उप-महानिदेशक का निर्णय अंतिम एवं निर्णायक होगा।

15. भ्रष्ट या कपटपूर्ण रीतियाँ

15.1 ब्यूरो को अपेक्षा है कि इस बोली के तहत बोलीदाता ऐसी संविदाओं की प्राप्ति एवं निष्पादन के दौरान नैतिक मूल्यों के उच्चतम मानक प्राप्त करेगा तदुपरान्त, ब्यूरो निम्नानुसार शर्तें सेट करना परिभाषित करता है।

क) भ्रष्ट रीति से अभिप्राय है, प्रक्रिया में या संविदा निष्पादन में सार्वजनिक कर्मचारी के कार्य को प्रभावित करने के लिए किसी मूल्यवान वस्तु का देना, प्राप्त या प्रलोभन देना, एवं

ख) कपटपूर्ण रीतियों से अभिप्राय है कि ब्यूरो को हानी पाहुचने के लिए प्रक्रिया या संविदा के निष्पादन को प्रभावित करने के लिये तथ्यों का मिथ्या निरूपण, तथा कृत्रिम तौर पर अप्रतिस्पर्धात्मक स्तर पर संविदा मूल्य बाधित करने के लिए बोलीदाताओं (बोली प्रस्तुतीकरण से पूर्ण या बाद में) के बीच कपटपूर्ण रीतियाँ शामिल हैं तथा ब्यूरो को मुफ्त एवं खुले प्रतिस्पर्धा के लाभों से वंचित करना शामिल है।

15.2 यदि ब्यूरो को यह ज्ञात होता है कि संविदा हेतु जिस बोलीदाता के नाम कि सिफारिश की गई वह संविदा हेतु प्रतिस्पर्धा में भ्रष्ट या कपटपूर्ण रीतियों में लिप्त है तो ऐसी संविदा के प्रस्ताव को रद्ध कर दिया जाएगा। यदि ब्यूरो को यह ज्ञात होता है कि फ़र्म संविदा की प्रतिस्पर्धा की भ्रष्ट एवं कपटपूर्ण रीतियों में लिप्त है, तो उस फ़र्म को अनिश्चित कल या 24 माह तक की समय सीमा हेतु अयोग्य समझा जाएगा।

16. गोपनीयता

16.1 संविदाकार इस संविदा के तहत हॉलिडे होम की सेवाएँ देते समय किसी भी व्यक्ति को प्राप्त मालिकाना जानकारी प्रकट नहीं करेगा जब तक कि ब्यूरो से लिखित में सहमति न ली जाए।

17. प्रचार-प्रसार

17.1 जिस किसी भी प्रचार सामग्री में ब्यूरो का नाम प्रयुक्त किया जाता है तो संविदाकार को ऐसे केवल ब्यूरो से लिखित अनुमति लेने पर ही करना चाहिए।

18. विवाद एवं विवाचक

18.1 ब्यूरो और संविदाकार संविदा से जुड़े किसी असहमति या उपजे विवाद को दोनों पक्ष सीधे अनौपचारिक बातचीत से हल करने का हर संभव प्रयास करेंगे। यदि किसी भी प्रकार का विवाद हल नहीं किया जा सके तो उस मामले को अनुसूची-4 में दर्शाएँ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियुक्त विवाचक के पास भेजा जाएगा। भारतीय विवाचक एवं समझौता अधिनियम 1996 के उपबंध लागू होंगे।

19. नोटिस भेजने का तरीका

19.1 संविदा में उल्लिखित दोनों पक्षों के बीच पत्राचार लिखित में होने पर ही प्रभावी होगा। नोटिस (भारतीय संविदा अधिनियम के तहत) के केवल डिलिवरी होने पर ही प्रभावी होगा।

19.2 संविदा में जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सभी नोटिस जारी किए जाएंगे। यदि संविदाकार के अंतिम ज्ञात स्थान या निवास या व्यवसाय वाले पते पर डाक एवं कूरियर से नोटिस भेजा जाता है।

20. शासन की भाषा

20.1 सम्पूर्ण संविदा एवं इसके तहत, शासित भाषा केवल अंग्रेजी/हिन्दी होगी।

21. कानून

21.1 संविदा भारतीय कानून के तहत, शासित एवं परिभाषित होगी।

22. कानूनी क्षेत्र

22.1 संविदाकार द्वारा केवल कोलकाता के स्थानीय सीमा के भीतर पड़ने वाले सक्षम न्यायालय को छोड़कर, किसी भी न्यायालय में संविदा निष्पादन या भंग से संबंधित मुकदमा या अन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी।

23. स्टाम्प ड्यूटी

23.1 संविदा से सम्बद्ध किसी भी प्रकार कि स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण प्रभारों का भुगतान संविदाकार वहन करेगा।

अनुसूची 3

शेष पृष्ठ

अनुसूची -4 विशिष्ट एवं संबद्ध तकनीकी विवरण

1. दर संविदा की प्रस्तावित वैधता

केवल 1 वर्ष तथापि, संविदा के वार्षिक आधार पर समीक्षा होगी तथा फर्म के सेवा-संतुष्टि एवं दोनों पक्षों के आपसी सहमति के शर्ताधीन 3 वर्षों तक इसे बढ़ाया जाएगा ।

2. निविदा दस्तावेज़ की उपलब्धता

स्थान : प्रशासन विभाग, भारतीय मानक ब्यूरो, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय,
1/14 सीआईटीस्कीम, VII-एम वीआईपी रोड, कंकुरगाछि, कोलकाता-700054
कार्यालय समय के दौरान एवं भा.मा.ब्यूरो

वैबसाइट : www.bis.gov.in या www.eprocure.gov.in

क) अवधि : 20 दिसंबर 2016 (मंगलवार) को 1500 बजे तक

उपनिदेशक (प्रशासन व वित्त), भारतीय मानक ब्यूरो, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, 1/14 सीआईटी स्कीम, VII-एम वीआईपी रोड, कंकुरगाछि, कोलकाता-700054 के कार्यालय में दिनांक 20 दिसंबर 2016 (मंगलवार) को 1500 बजे तक ।

3. बोलियों के प्रस्तुतीकरण की पद्धति/ तरीका

‘तकनीकी बोली’ एवं ‘वित्तीय बोली’ लिखे दो लिफाफों वाले भा मा ब्यूरो के होलीडे होम की स्थापना हेतु आवास उपलब्ध करने हेतु निविदा लिखकर लिफाफा जिस पर पक्ष का नाम एवं पता लिखा होना चाहिए तथा उपनिदेशक (प्रशासन व वित्त), भारतीय मानक ब्यूरो, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, 1/14 सीआईटी स्कीम, VII-एम वीआईपी रोड, कंकुरगाछि, कोलकाता-700054 के कार्यालय में दिनांक 20 दिसंबर 2016 (मंगलवार) 1500 तक भिजवाएँ ।

4. बोलियाँ खोलना

भारतीय मानक ब्यूरो, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, 1/14 सीआईटी स्कीम, VII-एम वीआईपी रोड, कंकुरगाछि, कोलकाता-700054 के कार्यालय में दिनांक 20 दिसंबर 2016 (मंगलवार) 1530 बजे तकनीकी बोली खोली जाएगी । वित्तीय बोली खुलने की तिथि तकनीकी बोली के मूल्यांकन के बाद निर्णीत की जाएगी ।

5. धरोहर राशि : रु० 20000/- (रु० बीस हजार केवल)

6. निष्पादन प्रतिभूति जमा : संविदा देने के कुल वार्षिक मूल्य का 5%

7. बोलियों की वैधता : तकनीकी बोली खोलने से 180 दिनों तक

8. इस निविदा/संविदा हेतु ब्यूरो की ओर से प्राधिकृत अधिकारी : श्री विवेक अग्रवाल, उपनिदेशक (प्रशासन एवं वित्त)

अनुसूची -5 वित्तीय बोली
(वित्तीय बोली लिफाफा में प्रस्तुत की जाए)

उपनिदेशक (प्रशासन एवं वित्त)
भारतीय मानक ब्यूरो, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय,
1/14 सीआईटी स्कीम, VII-एम वीआईपी रोड,
कंकुरगाछि, कोलकाता-700054

महोदय,

“भारतीय मानक ब्यूरो, होलिडे होम हेतु आवास उपलब्ध करवाने के लिए” दिनांक _____ आपकी निविदा पृष्ठताछ के संदर्भ में, मैं/हम निम्नानुसार दरों को उद्धृत करते हैं :

क्रमांक	कमरा न०	एक वर्ष के लिए लीज मूल्य (कमरे के हिसाब से) (रुपये दर अंकों एवं शब्दों में)
1		
2		
कुल		

लागू कर

क) सेवा कर : _____

ख) लगजरी कर : _____

ग) यदि कोई अन्य कर लागू हो : _____

मैंने/हमने दस्तावेज़ पढ़ लिया है तथा अनुसूची-2 में दर्शाए अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो को होलीडे होम उपलब्ध करवाने की सेवाओं हेतु सभी शर्तों एवं निबंधनों को समझ लिया है ।

हस्ताक्षर

फ़र्म/कंपनी का नाम

पता

तिथि

अनुसूची - 6 संविदा फ़र्म
करार

यह करार _____ के दिन _____ (माह) 2016 को किया गया है,
यह मैसर्स _____

(संविदाकार का नाम एवं पता) (जिसे आगे आगे इसमें संविदाकार कहा गया है) जब तक प्रसंगगत या इसके अर्थ विरुद्ध न हो, इसमें जिसकी अभिव्यक्ति का अर्थ समझा जाएगा तथा उसके उत्तराधिकारी एवं सुदूरपकार शामिल होंगे, एक पक्ष तथा भारतीय मानक ब्यूरो, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, 1/14 सीआईटी स्कीम, VII-एम वीआईपी रोड, कंकुरगाछि, कोलकाता-700054 (जिसे आगे इसमें ब्यूरो कहा गया है, जिसकी अभिव्यक्ति का अभिप्राय समझा जाएगा, जब तक प्रसंगगत या उसके अभिप्राय विरुद्ध न हों, इसमें उत्तराधिकारी एवं सुदूरपकार शामिल होंगे), दूसरे पक्ष के बीच करार हुआ ।

जबकि सेवा प्रदाता संविदाकार है एवं ब्यूरो निगमित निकाय है, जो संसद द्वारा अधिनिगमित है । ब्यूरो _____ दर संविदा आधार पर होलीडे होम का इच्छुक है । अतः खुले या विज्ञापित/लिमिटेड/एक निविदा पृष्ठा दिनांकित _____ के माध्यम से बोलियाँ आमंत्रित की गई हैं ।

जबकि संविदाकार (सफल बोलीदाता) ने अपनी बोली प्रस्तुति की, बोली दस्तावेज़ के अनुसार _____ देखें तथा बोली की प्रक्रिया के अनुपालन से 'यथा सफलतम बोलीदाता' चुना गया तथा संविदा मूल्यों पर बातचीत कर, दिनांक _____ को संविदाकार को स्वीकार्यता पत्र (LOA) संख्या _____ दिया गया ।

निविदा दस्तावेज़ की अनुसूची -2 (शर्त एवं निबंधन) में दर्शाएँ गए शर्तों एवं निबंधनों के अनुपालन हेतु दोनों पक्ष इस पर सहमत हुए ।

(संविदाकार/प्राधिकृत प्रतिनिधि
के हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

पता.....

.....

(ब्यूरो के प्राधिकृत के
हस्ताक्षर अधिकारी

नाम

पदनाम.....

पता

.....

फ़र्म/कंपनी की मुहर

साक्षी:.....

हस्ताक्षर

साक्षी का नाम

पता.....

ब्यूरो की मुहर

साक्षी:.....

हस्ताक्षर

साक्षी का नाम

पता.....

अनुसूची 7 -बोलीदाताओं द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले यदि कोई है तो अन्य मानक प्रपत्र

1.	अनुलग्नक -1	बैंक प्रतिभूति ब्रांड के प्रपत्र (यथा लागू कार्य निष्पादन सिक्योरिटी के रूप में सफलतम बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए जाएँ)
2.	अनुलग्नक -2	बोलीदाताओं द्वारा भेजे जाने वाले विवरण (तकनीकी बोली वाले लिफाफों में बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाएँ)
3.	अनुलग्नक -3	पिछले 3 वर्षों में बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई सदृश सेवाओं के प्रकारों के विवरण (तकनीकी बोली वाले लिफाफों में बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाएँ)
4.	अनुलग्नक -4	काली सूची एवं/या मुकदमों के संबंध में घोषणाएँ (तकनीकी बोली वाले लिफाफों में बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाएँ)
5.	अनुलग्नक -5	प्रस्तावित भारतीय मानक ब्यूरो होलिडे होम के विवरण (तकनीकी बोली वाले लिफाफों में बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाएँ)

अनुसूची 7 के अनुलग्नक 1
का हिन्दी अनुवाद अपेक्षित नहीं है।

अनुसूची 7 के अनुलग्नक - 2

'तकनीकी बोली' सहित बोलीदाताओं द्वारा भेजे जाने वाले विवरण

:

1. फर्म/कंपनी/होटल/इन का नाम:
2. वैधता तिथि सहित पंजीकरण की श्रेणी :
3. पंजीकरण का मूल्य:
4. पत्राचार का पता :
5. दूरभाष संख्या :
6. ई-मेल :
7. स्वामी/भागीदार/निदेशक के विवरण :

नाम	पता	अहर्ता एवं अनुभव

8. सदृश प्रकृति के कार्य/जॉब हेतु 3 वर्षों में फर्म/कंपनी का वार्षिक कारोबार (लेखा परीक्षित तुलना पत्र की प्रमाणित प्रतियाँ प्रस्तुत की जाएँ)

वित्तीय वर्ष	वार्षिक कारोबार(रु.)	संलग्न प्रतियाँ (हाँ / नहीं)
पहला वित्तीय वर्ष (2015-2016)		
दूसरा वित्तीय वर्ष (2014-2015)		
तीसरा वित्तीय वर्ष (2013-2014)		

9. फर्म/कंपनी का पैन, टीन नंबर :
10. सेवाकर पंजीकरण संख्या :
11. धरोहर राशि जमा ड्राफ्ट की संख्या / बैंक का नाम / तिथि :

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त तथ्य मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्ण एवं सही है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मैंने / हमने निविदा सूचना कि शर्तों एवं निबंधनों को पढ़ एवं समझ लिया है ।

मैं / हम वचनबद्ध हैं कि मैं/हम निविदा कि सभी शर्तों एवं निबंधनों के लिए मेरी / हमारी बिना शर्त एवं स्पष्ट स्वीकार्यता देता हूं/ देते हैं तथा इनशर्तों एवं निबंधनों के पालन के लिए सहमत हूं/हैं।

फर्म/कंपनी का नाम एवं हस्ताक्षर

फर्म/कंपनी कि मुहर

तिथि :

स्थान ::

अनुसूची 7 के अनुलग्नक 3
'तकनीकी बोली' सहित पिछले तीन) 03) वर्षों में सदृश प्रकृति के किए गए
कार्यों/ सेवाओं के विवरण

बोलीदाता का नाम

वर्ष	प्रदान की गई सेवाओं के नाम एवं प्रकार	उपभोक्ता का नाम एवं पता	संविदा का मूल्य	टिप्पणियाँ
2015-2016				
2014-2015				
2013-2014				

बोलीदाता के हस्ताक्षर.....

बोलीदाता का नाम एवं पता.....

.....

फर्म/कंपनी कि मुहर

तिथि :

अनुसूची 7 के अनुलग्नक 4

'तकनीकी बोली' के साथ काली - सूची एवं / या मुकदमों के संबंध में घोषणा

मैं/ हम एतद द्वारा घोषणा करता हूँ /करते हैं कि हमारी फर्म/एजेंसी को केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकार के तहत किसी मंत्रालय या केन्द्रीय सरकार के विभाग / राज्य सरकार या पी एस यू या अन्य निकायों द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है। मैं/हम यह भी घोषणा करता हूँ/हैं कि भारत में कहीं पर भी फर्म/कंपनी या इसके स्वामी/भागीदारों/निदेशकों के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज या लंबित नहीं है।

दिनांक माह 2016

बोलीदाता के हस्ताक्षर.....

बोलीदाता का नाम एवं पता

फर्म /कंपनी कि मुहर

अनुसूची 7 के अनुलग्नक 5

('तकनीकी बोली')

क्रमांक

प्रस्तावित होलिडे होम के विवरण

टिप्पणी

1.
 - क) होटल/ईन का नाम
 - ख) लोकेशन (जहाँ यह स्थित हैं)
 - ग) रेलवे स्टेशन से दूरीकिमी
 - घ) बस स्टैंड से दूरीकिमी
2.
 - क) क्या होलिडे होम के लिए उपलब्ध करने हेतु दो संघ कमरे हैं | हाँ / नहीं
 - ख) क्या सभी कमरों के साथ बाल्कनी हैं हाँ / नहीं
 - ग) क्या कमरे सन एवं सी फेसिंग हैं हाँ / नहीं
3.

प्रत्येक कमरे में व्यक्तियों कि संख्या हेतु आवास

 - 1) 1 डबल बेड/2 सिंगल बेड हाँ / नहीं
 - 2) अतिरिक्त 2 बेड/गददों हेतु स्थान एवं उसका क्षेत्र हाँ / नहीं

अर्थात 1 डबल बेड /2 सिंगल बेड व 2 बेड सहित अतिरिक्त बेडिंग.
4.

कमरों का क्षेत्र: सभी 2 कमरों कि लंबाई X चौड़ाई का i) _____

विवरण केवल फुटो में दें ii) _____

iii) _____

iv) _____

v) _____

vi) _____
5.
 - क) गीजर सहित सभी कमरों में संलग्न टॉइलेट एवं 24 घंटे पानी कि आपूर्ति हाँ / नहीं
 - ख) आर ओ/ ऐक्वागार्ड सहित पेय जल हाँ / नहीं

- 6 निम्न लिखित सुविधाओं कि उपलब्धता
- क) फर्नीचर, कुर्सियाँ, टेबल एवं अन्य वस्तुओं जैसे डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, कपबोर्ड हाँ / नहीं
- ख) केबल/ डीटीएच कनेक्शन सहित कलर टी. वी. सेट हाँ / नहीं
8. होलिडे होम हेतु अलग से रसोई (एलपीजी कनेक्शन सहित), प्रेशर कुकर एवं इस निविदा दस्तावेज़ कि अनुसूची 2 के 7.6 में यथा सूचीबद्ध बर्तन हाँ / नहीं
8. लागू नियमों के अनुसार अग्निशामक की पर्याप्त उपलब्धता हाँ / नहीं
9. कार पार्किंग की सुविधा है हाँ / नहीं
10. यदि उपलब्ध हो तो अतिरिक्त सुविधाएँ हाँ / नहीं

.....
तिथि एवं मुहर सहित

बोलीदाता के हस्ताक्षर

**BUREAU OF INDIAN STANDARDS
Eastern Regional Office
1/14. CIT Scheme-VII-M V.I.P Road
Kakurganchi, Kolkata-700054**

Our Ref : ERO/A-21.1

Date : 21.11.2016

TENDER NOTICE

Bureau of Indian Standards invites sealed bids, under two bid system (Technical bid and Financial bid) for providing accommodation for setting up its holiday home at one of the places in Puri from eligible bidders as per the details given below:

1. Eligibility

- a) The bidder should have a Licence of Appropriate Authority awarded to the party for carrying out business.
- b) The bidder should have a Hotel/Guest House at places in Puri.
- c) The bidder should have a valid PAN issued by the Income tax Department.
- d) The bidder should have a valid Service Tax Registration.
- e) The bidder Should not have been blacklisted by the Deptts./Ministries of the Govt. of India/State Govt./PSUs (Declaration has to be submitted in the specified format).
- f) The Bidder should have a minimum turnover of Rupees 20 lakhs per year, during the last three years.

2. Proposed validity of the contract: One Year

3. Availability of Tender Documents:

Place: Administration Department at the above address during office hours and BIS website www.bis.gov.in or www.eprocure.gov.in.

Period: 21 November 2016 to 20 December 2016 (1500 hrs.)

4. Method/manner for Submission of Bids: An envelope super-scribing "Tender for providing accommodation for setting up BIS holiday home" having two envelopes containing "**Technical Bid**" and "**Financial Bid**" must bear the name & address of the party & shall be addressed to "**Deputy . Director (Admn.& Finance), Bureau of Indian Standards, ERO, 1/14,CIT Scheme-VII-M, V.I.P Road, Kakurganchi, Kolkata-700054**".

5. Opening of Bids: Technical Bids shall be opened at 1530 h on 20 December 2016 (Tuesday).

6. Earnest Money Deposit: **Rs. 20,000/-**

7. Performance Security Deposit: 5% of the total annual value of the award of contract.

8. Validity of Bids: **180 days from opening of technical bid.**

9. The Bureau reserves the right to reject any or all the bids without assigning any reason at any stage.

(V. Agarwal)

Deputy .Director (Admn. & Finance)

E-mail: adminero@bis.gov.in

Phone: 033-23208499

Our Ref: ERO/A-21.1

TENDER DOCUMENT

SCHEDULE - 1: INSTRUCTIONS TO BIDDERS

1. Notice Inviting Bids:

1.1 Sealed Bids, under two bid system (Technical bid and Financial bid), are invited by the Bureau of Indian Standards (BIS), from interested parties under two-bid system for providing 2 nos. A.C rooms accommodation for setting up BIS Holiday Home at one of the places in and around Puri.

2. Issue of Tender Document:

2.1 Administration Department, Bureau of Indian Standards, ERO, 1/14, CIT Scheme-VII-M, V.I.P Road Kakurganchi, Kolkata-700054

Period: 21th November 2016 to 20 December 2016 (up to 1500 hrs)

2.1 The Tender document can also be downloaded from the website of the Bureau www.bis.gov.in or www.eprocure.gov.in .

2.2 Any change that will be made in the Tender document by the Competent Authority after issue of the Tender will be intimated to the prospective Bidders in the form of Corrigendum/Addendum for incorporating the same in the Bid before submitting the Bid.

2.3 No alterations and additions anywhere in the Bid Document are permitted. If any of these are found, the Bid may be summarily rejected.

2.4 The Bidder shall bear all costs associated with the preparation and submission of its Bid. The Bureau shall, in no case, be responsible or liable for these costs, regardless of the conduct or the outcome of the Bidding process.

3. Language of Bid/Contract:

3.1 The language of the Bid shall be in English/Hindi and all correspondence, etc. shall conform to the English/Hindi language.

4. Validity of Bids:

4.1 The Bids will be valid for a period of 180 days from the date of its opening.

5. Earnest Money/ Bid Security: Rs. 20000/-

5.1 The Bidder shall deposit with the Bureau a sum indicated in the Schedule-4 as an interest free Earnest Money Deposit (EMD). The Earnest Money shall be deposited in the form of Demand Draft/Pay Order in favour of Bureau of Indian Standards, payable at Kolkata.

5.2 The failure or omission to deposit the Earnest Money shall disqualify the Bid and the Bureau shall exclude from its consideration such disqualified Bid(s).

5.3 Bidder shall not revoke his Bid or vary its terms and conditions without the consent of the Bureau during the validity period of the Bid. If the bidder revokes the bid or varies its terms or conditions, the Earnest Money deposited by it shall stand forfeited to the Bureau without prejudice to its other rights and remedies and the Bidder shall be disentitled to submit a Bid to the Bureau for providing accommodation for setting up its holiday home during the next twenty-four (24) months effective from the date of such revocation.

5.4 If the successful Bidder does not pay the Performance Security in the prescribed time limit or fails to sign the agreement bond, Earnest Money Deposit of the successful bidder will be forfeited by the Bureau.

5.5 The Earnest Money of unsuccessful Bidder shall be refunded after the successful Bidder furnishes the required Performance Security to the Bureau and signs the contract or within thirty (30) days of the expiry of validity period of Bids, whichever is earlier.

6. Eligible Bidders

a) The bidder should have a Licence of Appropriate Authority awarded to the party for carrying out business.

b) The bidder should have a Hotel/Guest House at places in and around Puri.

c) The bidder should have a valid PAN issued by the Income tax Department.

d) The bidder should have a valid Service Tax Registration.

e) The bidder Should not have been blacklisted by the Deptts./Ministries of the Govt. of India/State Govt./PSUs (Declaration has to be submitted in the specified format).

f) The Bidder should have a minimum turnover of Rupees 20 lakhs per year, during the last three years.

7. Rates how to be quoted

7.1 The bidder is expected to work out his rates keeping in view the prevalent rates in the market. The Bidder shall be deemed to have satisfied itself before Bidding as to the correctness and sufficiency of its

Bid quoted in the attached schedules, which rates and prices shall, except as otherwise provided, cover all its obligations under the contract and all matters and things necessary for proper fulfilling his obligations under the contract.

7.2 The Bidder to quote rates in Financial Bid given in Schedule-5. In case of not quoting the rate in the Financial Bid, the bid shall be rejected.

7.3 Initially, the Contract shall be valid for one year which can be extended for further two years on the yearly basis and mutual consent after satisfactory performance of the contractor. However, the rates once quoted shall not be changed at the time of renewal of contract.

8. Manner of Submission of Bid

8.1 The complete Bid will be received as indicated in the Schedule-4, by depositing the same through the Bid Box or by post which reaches the specified place before the specified time.

8.2 The bid received through e-mail or fax will be rejected.

9. Last Date for Submission

9.1 Sealed Bids shall be received at the address specified above not later than the time and date specified in the Tender Notice. Bids received after the specified date and time shall not be considered. Hence, such bids shall be rejected and returned unopened to the Bidder.

9.2 In the event that the specified date for the submission of Bid offers is declared a holiday, the offers will be received up to the appointed time on the next working day.

10. Modification and Withdrawal of Offer

10.1 The Bidder may withdraw its offer after its submission, provided that written notice of withdrawal is received by the Bureau prior to the closing date and time prescribed for submission of offer.

11. Contents of Bid Document

11.1 Bids are invited in two-bid system (Technical bid and Financial bid). The completed Bid shall be submitted in sealed envelope, super-scribing "Bid for providing accommodation for setting up BIS holiday home" as mentioned in the Schedule-4.

11.2 The envelopes shall contain the following:

a) Envelope No.1 (Technical Bid): This should contain all technical details along with commercial terms and conditions such as:

(i) List of all the documents enclosed.

(ii) The EMD as indicated in clause 5.1 above.

(iii) Self-attested copy of the valid licence of Appropriate Authority awarded to the party for carrying out business of hotel industry.

(iv) Description of Holiday Home in Annexure 5 of Schedule 7.

(v) Copies of Profit and Loss Accounts and Income & Expenditure Statement for the last three years duly attested by the Chartered Accountant in proof of minimum turnover of Rupees 20 lakhs per year.

(vi) Self-attested copies of valid PAN issued by the Income tax Department and Service Tax Registration.

(vii) Details of the firm(s) including details of the proprietor/partner/director with regard to name, address for communication, telephone number, e-mail etc. (Annexure-2 of Schedule 7).

(viii) In case of a firm, each partner or power of attorney holder shall sign the Bid. The attested copies of power of attorney of person signing the Bid shall be enclosed with the Bid. The power of attorney shall be signed by all partners. In case of private limited/public limited companies, the power of attorney shall be supported by board resolutions and appropriate and adequate evidence in support of the same shall be provided.

(ix) All pages and pasted slips should be signed by the Bidder and no page shall be added or removed from the set of Bid Document. Duly signed Bid document is to be returned as a token of its acceptance.

(x) A statement showing the magnitude of Work/Service done in the last three (3) years (Annexure-3 of Schedule 7).

(xi) A declaration regarding black-listing and/ or litigations (Annexure-4 of Schedule 7).

b) Envelope No.2 (Financial Bid): This envelope shall only contain category-wise price for the services to be hired at specified places as per Schedule-2, duly filled in and initialed on each page and signed by the Bidder at prescribed places of the Bid. The instructions contained in clause 8 may please be noted.

c) Covering Envelope: Both the envelopes 1 and 2 shall be put together in a common sealed envelope super-scribing **the “Bid for Providing Accommodation for BIS HOLIDAY HOME”** as mentioned in Schedule-4 and the name and address of the Bidder at the bottom left.

12. Other Important Points to be noted by the Bidder:

a) The Financial Bid should be written both in words and figures at appropriate places (Schedule 5).

b) The Bidder shall submit the Bid which satisfies each and every condition laid down in Tender Document, failing which the Bid shall be liable to be rejected. Conditional Bids will be rejected.

13. Opening of Bid

13.1 The Bid received before the time and date specified in Tender Notice, will be opened as per Schedule-4, in the presence of Bidders or their authorized representatives who choose to remain present on the opening day.

14. Shortlisting of Bidders

14.1 The Bureau will short-list technically qualifying Bidders and Financial Bids of only those Bidders, who qualify in technical bids, will be opened at a date and time to be intimated.

15. Opening of Financial Bids

15.1 The Bureau shall open Envelope No.2, on notified date, and the rates quoted by the bidder in price schedule (Schedule-5) shall then be read out.

16. Acceptance of Bid

16.1 Acceptance of Bid shall be done by the Competent Authority of the Bureau. The Bid shall be accepted on the basis of L1, as per rates quoted in the Financial Bid. The Bureau is not bound to accept the lowest or any Bid. The Bureau reserves the right to reject any or all Bids received without assigning any reason whatsoever. The acceptance of Bid will be communicated to the successful Bidder in writing by the authorized officer of the Bureau.

17. Process to be confidential

17.1 Information relating to the examination, evaluation and comparison of Bids and the award of a Contract shall not be disclosed to Bidders or any other person not officially concerned with such process until the award to the successful Bidder has been announced.

18. Execution of Contract Document

18.1 The successful Bidder after deposit of Performance Security, is required to execute an Agreement in duplicate in the form attached with the Bid Documents on a stamp paper of proper value of Rs. 100/-. The Agreement should be signed within 15 days from the date of acceptance of the Bid. The Contract will be governed by the Agreement, the Conditions of the Contract (CoC) and other documents as specified in the CoC.

18.2 It shall be incumbent on the successful Bidder to pay stamp duty, legal and statutory charges for the Agreement, as applicable on the date of the execution.

19. Rights of the Bureau

19.1 The Bureau reserves the right to suitably increase/reduce the scope of work put to this Bid.

19.2 In case of any ambiguity in the interpretation of any of the clauses in Tender Document or the conditions of the Contract, interpretation of the clauses by the Bureau shall be final and binding on all Parties.

20. Notice to form Part of Contract

20.1 Tender Notice and these instructions shall form part of the Contract.

SCHEDULE – 2

CONDITIONS OF CONTRACT

1. Definitions

- i) “Annexure” referred to in these conditions shall mean the relevant annexure appended to the Tender Document and the Contract.
- ii) “Approved” shall mean approved in writing including subsequent confirmation of previous verbal approval and “Approval” shall mean approval in writing including as aforesaid.
- iii) “Bid” means the Contractor’s priced offer to the Bureau for the Holiday Home accommodation at the specified places and remedying of any defects therein in accordance with the provision of the Contract, the installation and services as accepted by the Letter of Acceptance.
- iv) “Bureau” shall mean Bureau of Indian Standards established under the Bureau of Indian Standards Act, 1986.
- v) “Commencement Date” means the date upon which the Contractor receives the notice to commence the rendering of services at specified places.
- vi) “Competent Authority” shall mean any officer authorized by the Bureau to act on behalf of the Bureau under this contract.
- vii) “Contract” shall mean and include the Tender Notice, instructions to bidders, terms and conditions of contract, Letter of Acceptance, the Offer, the Agreement and mutually accepted conditions in the authorized correspondence exchanged with the bidder by the Bureau and any other document forming part of the contract.
- viii) “Contract Amount” shall mean the sum quoted by the Contractor in his bid and accepted by the Bureau.
- ix) “Contractor” shall mean the individual or firm or company whether incorporated or not, undertaking the Contract and shall include legal representatives of such individual or persons composing such firm or unincorporated company or successors of such firm or company as the case may be and permitted assigns of such individual or firm or company.
- x) “Deputy Director General” shall mean the Deputy Director General of the Bureau, Eastern Regional Office, for the time being holding that office and also his successor and shall include any officer authorized by him.
- xi) “Government” shall mean the Central Government.
- xii) “Letter of Acceptance” means the formal acceptance by the Bureau.

xiii) "Services" shall mean the services to be provided to the Bureau by the Contractor as stated in the Contract and other services that are prescribed in the Tender document.

xiv) "Specification" means the specification referred to in the tender. In case where no particular specification is given, the relevant specification of the Bureau, where one exists, shall apply.

xv) "Tender" means formal invitation by the Bureau to the prospective bidders to offer rates for Providing Accommodation for BIS Holiday Home at the specified places.

xvi) "Time for Completion" means the time for completing the supply and passing the Tests of the Goods or any part thereof as stated in the Contract calculated from the Commencement Date.

2. Parties to the Contract

2.1 The parties to the contract shall be the Contractor, whose offer is accepted by the Bureau.

2.2 The person signing the offer or any other document forming the part of Contract on behalf of other persons of a firm shall be deemed to have due authority to bind such person/s or the firm as the case may be, in all matters pertaining to the Contract. If it is found that the person concerned has no such authority, the Bureau may, without prejudice to any other Civil/Criminal remedies, terminate the Contract and hold the signatory and / or the firm liable for all costs and damages for such termination.

3. Performance Security

3.1 To ensure due performance of the contract, an interest-free Performance Security, as defined in Schedule 4 shall be deposited by the contractor in the form of an Account payee Demand Draft in favour of "Bureau of Indian Standards" payable at "Kolkata" or a Bank Guarantee as per format indicated in Annexure-1 of Schedule - 7.

3.2 Performance Security shall remain valid for a period of sixty days beyond the date of completion of all contractual obligations of the contractor. The Performance Security shall be returned to the Contractor by the Bureau after sixty days of completion of contract provided there are no outstanding claims of the Bureau on the Contractor.

3.3 Any amount due/recoverable from the Contractor under the terms of this Contract or any other account, may be deducted from the amount of Performance Security Deposit. In case, the amount of Performance Security Deposit is reduced by reason of any such deduction, the Contractor shall, within fifteen (15) days of receipt of notice of demand from the Bureau, make good the deficit. In case, security is deposited by way of bank guarantee by the Contractor, then any penalty for damages liquidated or unliquidated or for any breach or failure or determination of Contract, not previously paid to the Bureau, shall immediately on demand be paid by the said bankers to Bureau under and in terms of the said guarantee.

3.4 If during the term of this Contract, the Contractor is in default of the due and faithful performance of its obligations under this Contract, or any other outstanding dues by the way of fines, penalties and recovery of any other amounts due from the Contractor, the Bureau shall, without prejudice to its other rights and remedies hereunder or at the Applicable Law, be entitled to call in, retain and appropriate the Performance Security.

3.5 Nothing herein mentioned shall debar the Bureau from recovering from Contractor by a suit or any other means any such losses, damages, costs, charges and expenses as aforesaid, in case the same shall exceed the amount of the Performance Security.

4. Contract Documents

4.1 The several Contract documents forming the Contract shall be taken as mutually explained to one party by the other, but in case of ambiguities or discrepancies the same shall be explained and harmonized by the Competent Authority of the Bureau who shall issue to the Contractor necessary instruction thereon and in such event unless otherwise provided in the Contract the priority of the documents forming the contract shall be as follows:

i) The Agreement

ii) Minutes of pre-bid meetings, clarifications, if any

iii) The Conditions of Contract

iv) Tender Notice and Tender Document

v) Letter of Acceptance.

vi) Any other correspondence exchanged between the parties in connection with the contract.

vii) The Contractor's Offer

5 Validity of the Contract

5.1 The Contract shall be valid for a period of one year from the date of signing this Contract. The contract will be reviewed after one year subject to the satisfactory performance of the contractor and on the mutual consent of both the parties shall be extended for one year. The total maximum period of contract after yearly extension shall be three years.

6. Scope of Work for Providing Accommodation for BIS Holiday Home

6.1 The following points shall cover the scope of work under this contract:

a) The contractor shall provide accommodation for setting up Holiday Home for BIS in a Hotel/Guest House at a convenient place at one of the places i.e. in and around Puri.

- b) The Hotel/Guest House for BIS Holiday Home shall be at a convenient distance from Bus Stand and/or Railway Station.
- c) The Holiday should have the minimum capacity to accommodate four persons in each room. Each room should have a balcony.
- d) In addition to the double bed or two single beds provided in these rooms, additional beddings (two) would be provided by the holiday home provider as and when required without any additional payment.
- e) The rooms should have facilities of attached toilets with bathroom, geysers and 24 hours water supply.
- f) The rooms should have facilities like, furniture items such as one double bed or two single beds with beddings, dressing table, cupboards, 2 chairs/sofa seats with 1 centre table and colour TV set with cable/DTH connection, etc.
- g) The rooms should be well ventilated preferably sun facing, sea facing and maintained clean and tidy. The rooms including doors, windows, shall be painted before the start of the lease period and repainted/distempered polished once in a year.
- h) Room shall be got cleaned every day and as and when required. The linen of beddings shall be changed daily and with change of occupants.
- i) Curtains shall be cleaned periodically.
- j) Two towels and two soap cakes shall be provided to officials occupying rooms once on checking in and will be replaced every day.
- k) The Contractor (holiday home provider) shall ensure adequate supply of both hot and cold water in bath/toilets.
- l) Holiday home provider shall carry out all maintenance work in the building and keep all fittings and fixture in good condition.
- m) In winter season, from 1st December to 28 February of each year, the holiday home provider shall provide a heat convactor in each of the rooms occupied by the lessee as well as on demand by the occupant during the remaining period of the year.
- n) The Holiday Home should have the facility of food services in room.
- o) The Contractor shall provide a discount of 20% on all food items ordered by BIS officials from the restaurant over the listed Menu prices. The prices shall not be changed during the period of lease agreement.
- p) The contractor shall provide complementary tea/coffee on arrival.

q) The contractor shall provide one common kitchen facility to BIS in the premises of Holiday Home, on the same floor along with primary infrastructure i.e. gas stove in running conditions, 2 pressure cookers, adequate utensils for the use in case of all rooms are occupied (4 Patilas, 1 Tawa, 4 sets of 4 plates with bowls, adequate number of glasses and spoons etc.).

r) The Holiday Home must have the arrangement of car parking.

s) The Contractor shall provide facility for stay of driver, if required, free of cost.

6.2 The Contractor shall also ensure engaging adequate number of employees required for providing Holiday Home services efficiently.

7. Contractor's Obligation

7.1 The Contractor shall provide Holiday Home accommodation as per Clause 6 above, which may be amended from time to time by the Bureau during the Contractual period and it shall always form part and parcel of the Contract. The Contractor shall abide by such assignments as provided by the Bureau from time to time.

7.2 The contractor shall bear all expenses for running BIS Holiday Home and BIS shall not in any manner be liable or reimburse the expenses so incurred except the amount in the Financial Bid, tax liability, if any, as per the contract.

7.3 The rooms held by the Contractor shall be kept locked and shall not be allowed to be used by anyone except BIS employees who have been officially allotted the rooms for stay. For this purpose BIS official(s) would carry an official letter from the Lessee.

7.4 That the holiday home provider shall maintain a Register for recording the stay of BIS officials and their families in the allotted rooms.

7.5 That necessary arrangement for locking and opening of the rooms, keeping records etc. shall be made by the holiday home provider.

7.6 It shall be the responsibility of the Contractor to provide manpower for cleaning of utensils of kitchen 2-3 times daily as per the need arises. No additional charges shall be paid by BIS for providing this facility.

7.7 The service staff in the BIS Holiday Home should be well uniformed.

8. Payment Terms

8.1 BIS shall not be responsible to make any payment to the contractor in case of any loss to the contractor for running the BIS Holiday Home.

8.2 Payment of lease amount shall be made on half yearly basis in advance with applicable statutory taxes against invoice/bill. The payment will be subject to the provisions of the Income Tax Act, 1961 i.e., Tax will be deducted at source with cess/surcharge, at the prevailing rates.

8.3 In case of suspension of contract temporarily (Refer clause 11), no payment for the days contract remains suspended shall be made by BIS to the contractor.

9. Imposition of fines / penalty

9.1 In case it is found that the rooms officially allotted by BIS to its employees for visiting holiday home, are already occupied by others, a penalty of Rs. 5000/- shall be imposed on each occasion.

9.2 In case any complaint is received from visiting BIS employees for improper kitchen facility i.e. items are not provided in the kitchen according to the clause 6.1(q) above, a penalty of Rs. 1,000/- shall be imposed on each occasion.

9.3 If the contractor fails to pay the penalty amount as mentioned in clause 9.1 & 9.2 above within 15 days of receipt of written communication from BIS, the same shall be deducted from the performance security.

10. Indemnity:

10.1 The Contractor shall indemnify and keep indemnified the Bureau against all losses and claims for injuries or damage to any person or any property whatsoever which may arise out of or in consequence of the Contract and against all claims, demands, proceedings, damages, costs, charges and expenses whatsoever in respect of or in relation thereto under the provisions of various labour laws as amended from time to time.

10.2 The Contractor shall indemnify, protect and save the Bureau against all claims, losses, costs damages, expenses, action suits and other proceeding, resulting from infringement of any patent, trademarks, copyrights and labour issues etc. or such other statutory infringements.

11. Suspension of Contract

11.1 The Bureau shall be at liberty at any time to temporarily suspend this Contract on giving 24 hours notice in writing to the Contractor for breach of any of the terms and conditions of this Contract for insufficient service or misconduct of the Contractor as to which the decision of the Bureau shall be final and the Contractor shall not be entitled to any change or compensation by reason thereof.

11.2 An event of default on the part of the Contractor, which results from the Contractor being unable to fulfill its Service obligations under the Contract, shall be deemed as a serious default, and is said to have occurred due to any of the following causes:

(a) In the opinion of the Bureau, the Contractor has repudiated the Contract,

(b) Without reasonable excuse Contractor has failed to provide proper Holiday Home services in accordance with this Contract;

(c) Despite previous warning from the Bureau, in writing, or otherwise persistently or flagrantly neglecting to comply with any of its obligations under the Contract;

- (d) If the Contractor is in breach of any law or statute governing to provide services;
- (e) The Contractor, in the judgment of the Bureau, has engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for or in carrying out the Services under the Contract.
- (f) The Contractor enters into voluntary or involuntary bankruptcy, or liquidation;
- (g) The Contractor becomes insolvent;
- (h) A receiver, administrator, trustee or liquidator is appointed over any substantial part of its assets;
- (i) Any act is done or event occurs with respect to the Contractor or its assets, which, under any applicable law has substantially similar effect to any of the foregoing acts or events;
- (j) The Contractor (in case of a consortium) has modified the composition of the consortium and/or the responsibility of each member of the consortium without prior approval of the Bureau.

12. Termination by the Bureau

12.1 It shall also be lawful for the Bureau to terminate the Agreement at any time without assigning any reason and without being liable for loss or damage which the Contractor may suffer by reason of such termination, by giving the Contractor 15 days' notice in writing by the Bureau for such termination. Any such termination shall be without prejudice to any other right of the Bureau under the Contract.

13. Contractor's right to terminate

13.1 If the Contractor decides to terminate the Contract before the end of contract period, the Contractor has to give an advance intimation of at least 30 days. If the Contractor terminates the agreement without prior notice of 30 days, then the entire security deposit will be forfeited.

14. Force Majeure Clause

14.1 If at any time during the continuance of this Contract, the performance in whole or in part by either party of any obligation under this contract shall be prevented or delayed by the reasons of any war, hostility, acts of the public enemy, epidemics, civil commotion, sabotage, fires, floods, explosion, quarantine restrictions, strikes, lockouts or act of God (hereinafter referred to as such acts) provided notice of happening of such event is given by one party to the other within 21 days from the date of occurrence thereof, neither party shall be by reasons of such event, be entitled to terminate this contract nor shall either party have any claim for damages against the other in respect of such non-performance or the delay in performance, and deliveries under the contract shall be resumed as soon as practicable after such event has come to an end or ceased to exist, and the decision of the Deputy Director General, Eastern Regional Office of the Bureau as to whether the deliveries have been so resumed or not, shall be final and conclusive, PROVIDED FURTHER that if the performance in whole or part of any obligation under this contract is prevented or delayed by reason of any such event for a period exceeding 60 days, either party may at its option terminate the contract provided also that the Bureau shall be at liberty to take over from the Contractor at a price to be fixed by Deputy Director General, ERO which shall be final.

15. Corrupt or Fraudulent Practices

15.1 The Bureau requires that the Bidders under this Bid observe the highest standards of ethics during the procurement and execution of such Contracts. Accordingly, the Bureau defines the terms set forth as follows:

(a) "corrupt practice" means the offering, giving, receiving or soliciting of anything of value to influence the action of the public official in the procurement process or in contract execution; and

(b) "fraudulent practice" means a misrepresentation of facts in order to influence a procurement process or a execution of a contract to the detriment of the Bureau, and includes collusive practice among Bidders (prior to or after Bid submission) designed to establish Contract Prices at artificial non-competitive levels and to deprive the Bureau of the benefits of the free and open competition.

15.2 The Bureau will reject a proposal for award if it determines that the Contractor has engaged in corrupt or fraudulent practices before, during or after the period of contract; The Bureau will hold the Contractor ineligible to be awarded a contract, either indefinitely or for a period of 24 months from the date of declaring the contractor ineligible if it at any time determines that the Contractor has engaged in corrupt and fraudulent practices in competing for, or in executing the Contract.

16. Confidentiality

16.1 The Contractor shall not divulge or disclose proprietary knowledge obtained while providing Holiday Home services under this Contract to any person, without the prior written consent of the Bureau.

17. Publicity

17.1 Any publicity by the Contractor in which the name of the Bureau is to be used, should be done only with the explicit written permission of the Bureau.

18. Disputes & Arbitration

18.1 The Bureau and the Contractor shall make every effort to resolve amicably by direct informal negotiation, any disagreement or dispute arising between them under or in connection with the contract. If a dispute(s) of any kind whatsoever that cannot be resolved the same shall be referred to the Arbitrator, appointed by the Authorized Officer indicated in Schedule-4. The provisions of the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996 shall apply.

19. Mode of serving Notice

19.1 Communications between Parties which are referred to in the Contract are effective only when in writing. A notice shall be effective only when it is delivered (in terms of Indian Contract Act).

19.2 All notices shall be issued by the authorized officer of the Bureau unless otherwise provided in the Contract. In case, the notice is sent by post/courier to the last known place or abode or business of

the Contractor, it shall be deemed to have been served on the date when in the ordinary course of post/ courier these would have been served on or delivered to it.

20. Governing language

20.1 Governing language for the entire contract and communication thereof shall be English/Hindi only.

21. Law

21.1 The contract shall be governed and interpreted under Indian Laws.

22. Legal Jurisdiction

22.1 No suit or other proceedings relating to performance or breach of Contract shall be filed or taken by the Contractor in any Court of law except the competent Courts having jurisdiction within the local limits of Kolkata only.

23. Stamp duty:

23.1 The Contractor shall bear and pay any stamp duty and registration charges in respect of the Contract.

SCHEDULE – 3

BLANK PAGE

SCHEDULE – 4: SPECIFICATION & ALLIED TECHNICAL DETAILS

1. Proposed validity of the contract – One year. However, the contract will be reviewed and extended after every year subject to the satisfactory services of the firm and on the mutual consent of both the parties up to 3 years.

2. Availability of Tender Documents:

Place: Administration Department at the above address during office hours and BIS website www.bis.gov.in or www.eprocure.gov.in.

Period: 21 November 2016 to 20 December 2016 (tuesday) 1500 hr

3. Method/manner for Submission of Bids: An envelope super-scribing "Tender for providing accommodation for setting up BIS holiday home" having two envelopes containing "Technical Bid" and "Financial Bid" must bear the name & address of the party & shall be addressed to **"Deputy. Director (Admn.& Finance), Bureau of Indian Standards, ERO, 1/14, CIT Scheme-VII-M, V.I.P Road, Kakurganchi, Kolkata-700054"**.

5. Opening of Bids: Technical Bids shall be opened at 1530 h 20 December 2016 (tuesday).

6. Earnest Money Deposit: Rs. 20,000/-

7. Performance Security Deposit: 5% of the total annual value of the award of contract.

8. Validity of Bids: 180 days from opening of technical bid.

9. Authorized Officer on behalf of the Bureau for this tender/contract:

(V. Agarwal)

Deputy. Director (Admn.& Finance)

E-mail: adminnro@bis.gov.in

SCHEDULE – 5 : FINANCIAL BID

(To be submitted in Financial Bid envelope)

The Deputy. Director (Admn. & Finance)

Bureau of Indian Standards,

1/14,CIT Scheme-VII-M, V.I.P Road,

Kakurganchi, Kolkata-700054”.

Sir,

With reference to your tender enquiry dated _____ for “Providing Accommodation for BIS Holiday Home”, I/We quote the rates as given below :

S.No.	Room No.	Lease amount (room-wise) for one year (Rs. In figures & words)
1.		
2.		
	Total	

Applicable Taxes :

- a) Service Tax : _____
b) Luxury Tax : _____
c) Any other tax, if applicable : _____

I/We have read the tender document and understood all the terms & conditions for providing Holiday Home services to BIS.

Signature _____

Date: _____

(with seal)

Name _____

Address _____

SCHEDULE - 6: CONTRACT FORM

AGREEMENT

THIS AGREEMENT made on this _____ day of _____ 2016 between M/s _____ (Name and Address of the Contractor) (hereinafter referred to as the CONTRACTOR, which expression shall, unless it be repugnant to the context or meaning thereof, be deemed to mean and include its successors and assigns) of the ONE PART and the **Bureau of Indian Standards, ERO, 1/14,CIT Scheme-VII-M, V.I.P Road, Kakurganchi, Kolkata-700054**". (hereinafter referred to as the BUREAU, which expression shall, unless it be repugnant to the context or meaning thereof, be deemed to mean and include its successors and assigns) of the OTHER PART.

WHEREAS the Contractor is a service provider. AND WHEREAS the Bureau is a body corporate, enacted by Parliament. The Bureau intends to set up Holiday Home, therefore, invited bids through Open or Advertised / Limited / Single Tender enquiry dated _____

WHEREAS the Contractor (successful bidder) submitted his bid vide _____ in accordance with the bid document and was selected as "successful bidder" pursuant to the bidding process and negotiation on contract prices, awarded the "Letter of Acceptance" (LoA) No. _____ to the Contractor on _____.

BOTH THE PARTIES HERETO agree to abide the terms and conditions as mentioned in

Tender Document (Tender Document signed on each page by the Contractor is attached)

(Signature of Contractor/ (Signature of Authorized Officer of the Bureau)

Authorized Representative)

Name _____ Name _____

Designation _____ Designation _____

Address _____ Address _____

Seal of the Firm/Company Seal of the Bureau

Witness: Witness:

(Signature) (Signature)

Name of Witness _____ Name of Witness _____
Address _____ Address _____

SCHEDULE - 7: OTHER STANDARD FORMS, IF ANY, TO BE UTILIZED BY THE BIDDERS

1. Annexure-1 FORM OF BANK GUARANTEE BOND

(To be submitted by the successful bidder as performance security as applicable)

2. Annexure-2 DETAILS TO BE FURNISHED BY THE BIDDERS

(To be submitted by all the bidders in the envelope containing the technical bid.)

3. Annexure-3 DETAILS OF THE SIMILAR TYPE OF SERVICES PROVIDED BY

THE BIDDER DURING LAST 3 YEARS

(To be submitted by all the bidders in the envelope containing the technical bid.)

4. Annexure-4 DECLARATION REGARDING BLACK-LISTING AND/ OR

LITIGATIONS

(To be submitted by all the bidders in the envelope containing the technical bid.)

5. Annexure-5 DESCRIPTION OF PROPOSED BIS HOLIDAY HOME

(To be submitted by all the bidders in the envelope containing the technical bid)

Annexure –1 of Schedule 7

FORM OF BANK GUARANTEE BOND

1. In consideration of Bureau of Indian Standards (hereinafter called „The BUREAU“) having agreed to exempt _____ (hereinafter called “the said Contractor(s)”) from the demand under the terms and conditions of an Agreement dated

_____ made between _____ and

_____ for _____ (hereinafter called “the said Agreement of security deposit for the due fulfillment by the said Contractor (s) of the terms and conditions contained in the said Agreement, on production of a Bank Guarantee for Rs.

_____ (Rupees _____ Only)

we, _____ (hereinafter referred to as „the bank“) (indicate the name of the bank)

at the request of _____ [(Contractor (s) do hereby undertake to pay the Bureau an amount not exceeding Rs. _____ against any loss or demand caused to or suffered or would be caused to or suffered by the Bureau by reason of any breach by the said Contractor (s) of any of the terms or conditions contained in the said Agreement.

2. We _____ do hereby undertake to (indicate the name of the bank)

pay the amounts due and payable under this guarantee without any demur, merely on a demand from the Bureau of Indian Standards stating that the amount claimed is due by way of loss or damage caused to or would be caused to or suffered by the Bureau by reason of breach by the said Contractor (s) of any of the terms or conditions contained in the said Agreement or by reasons of the Contractor (s) failure to perform the said Agreement. Any such demand made on the bank shall be conclusive as regards the amount due and payable by the Bank under this guarantee. However, our liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rs.

3. We, undertake to pay to the Bureau any money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the Contractor (s) / Supplier (s) in any suit or proceeding pending before any Court or Tribunal relating thereto our liability under this present being absolute and unequivocal.

The payment so made by us under this bond shall be a valid discharge of our liability for payment there under and the Contractor (s) / Supplier (s) shall have no claim against us for making such payment.

4. We, _____ further agree that the Guarantee herein contained (indicate the name of Bank) shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said Agreement and that it shall continue to be enforceable till all the dues of the Bureau under or by virtue of the said Agreement have been fully paid and its claims satisfied or discharged or till the authorized officer of the Bureau (Administration Department) certifies that the terms and conditions of the said Agreement have been fully and properly carried out by the said Contractor(s) and accordingly of the said Agreement have been fully and properly carried out by the said Contractor (s) and accordingly discharges this guarantee. Unless a demand or claim under this gurantee is made on us in writing on or before the _____ we shall be discharged from all liability under this guarantee thereafter.

5. We.....further agree with the Bureau that the (Indicate the name of the bank)
have the fullest liberty without our consent and without affecting in any manner our obligations hereunder to vary any of the terms and conditions of the said Agreement or to extend time to performance by the said Contractor (s) from time to time or to postpone for any time or from time to time any of the powers exercisable by the Bureau against the said Contractor (s) and to forbear or enforce any of the terms and conditions relating to the said agreement and we shall not be relieved from our liability by reason of any such variation, or extension being granted to the said Contractor (s) or for any forbearance, act or commission on the part of the Bureau or any indulgence by the Bureau to the said Contractor (s) or by any such matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties would but for this provision, have effect of so relieving us.

6.This guarantee will not be discharged due to the change in the constitution of the Bank or the Contractor (s).

7.We, lastly undertake not to revoke this guarantee during (indicate the _____ name _____ of _____ bank)

its currency except with the previous consent of the Bureau in writing.

Dated theday of2016

For

(indicate the name of bank)

Annexure–2 of Schedule 7

DETAILS TO BE FURNISHED BY THE BIDDERS

ALONG WITH "TECHNICAL BID"

1.Name of the Firm/Company/Hotel/Guest House:

2.Class of Registration validity with date :

3.Value of Registration :

4.Address for Communication :

5.Telephone No. :

6.E-mail :

7.Details of Proprietor/Partner/Director :

NameAddressQualification and Experience

8.Annual Turnover of the Firm/Company during previous three Financial Years

(Certified copies of Profit & Loss Accounts and Income & Expenditure Statement to be submitted):
Financial YearAnnual Turnover (Rs)Copies are enclosed

(Yes/No)

Previous Financial Year (Y-1)2015-16

2nd Previous Financial Year (Y-2) 2014-15

3rd Previous Financial Year (Y-3) 2013-14

9. PAN, TIN Number of the Firm/Company :_____

(enclose copy)

10. Service Tax Registration No. :_____

(enclose copy)

11. EMD Draft Number/Date & Name of the Bank:_____

This is to certify that the above facts are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. Further, it is certified that I/We have read and understood the terms and conditions of the Tender Notice.

I/We give an undertaking and give our unconditional and unequivocal acceptance of all terms and conditions of the Tender and agree to abide by these terms and conditions.

Date: Name and Signature of the Firm/Company

Place:

Seal of the Firm/Company

Annexure –3 of Schedule 7

Details of the similar type of Services provided by the Bidder during last 3 years to be submitted along with

"TECHNICAL BID"

Name of the Bidder:

Year	Name and Type of services provided	Name & Address of the Client	Value of Contract	Remarks
------	------------------------------------	------------------------------	-------------------	---------

2015-2016

2014-2015

2013-2014

Date: Signature of Bidder _____

Name & Address of Bidder _____

Seal of the Firm/Company

Annexure–4 of Schedule 7

Declaration regarding black-listing and/ or litigations to be submitted along with "TECHNICAL BID"

I/we hereby declare that our Firm/Agency/Hotel/Guest House/Holiday Home is not black-listed by any Ministry or Department of Central Government/State Government or PSU or other bodies under the Central Government/State Government. I/we further declare that no criminal case is registered or pending against the firm/company or its Owner/Partners/Directors anywhere in India.

Date: Theday of2016.

Signature of Bidder_____

Name & Address of Bidder_____

Seal of the Firm/Company

ANNEXURE 5 of Schedule 7

(Technical Bid)

Sl. No.	Description of proposed holiday home	Remark
1a)	Name of the Hotel / Guest House: _____	
b)	Location –vicinity (Place where it is situated): _____	
c)	Distance from Railway Station _____ km	
d)	Distance from Bus Stand _____ km.	
2.	a) Whether TWO Rooms are available for providing to BIS Holiday Home.	Yes/No
	b) Whether attached balcony in all rooms	Yes/No
	c) Whether rooms are sun facing and sea facing	Yes/No
3	Accommodation for number of persons in each room:	
i)	1 Double Bed/2 single beds	Yes/No ii) Space for additional
	2 beds/Mattresses	Yes/No and its area (i.e. 1 Double Bed/2 single beds
	two beds plus additional beddings)	
4.	Area of the rooms. Give detail in length x breath in feet only of two Rooms	
i)	_____	
ii)	_____	
5.	a) Attached toilets with all roomswith geysers and 24 hour water supply.	Yes/No
	b) Drinking water supply with RO/Aquaguard	Yes/No
6.	Availability of Facilities like:	
a)	Furniture, Chairs, table and other items like double beds, dressing cupboards.	Yes/No table,
b)	Colour TV sets with cable/DTH connection	Yes/No
7.	Separate Kitchen for Holiday Home (with LPG connection), Pressure cooker & utensils etc as listed in the 6.1(s) of Schedule-2 of this tender document.	Yes/No
8.	Adequate provision of fire-fighting as per norms applicable	Yes/No
9.	Adequate provision for car parking	Yes/No
10.	Additional facilities, if available: _____	

Signature of Bidder with date & seal